पंजीयन संख्या : 68939 /98 अंक – 22, वर्ष – 24

ज्ञान तरंग

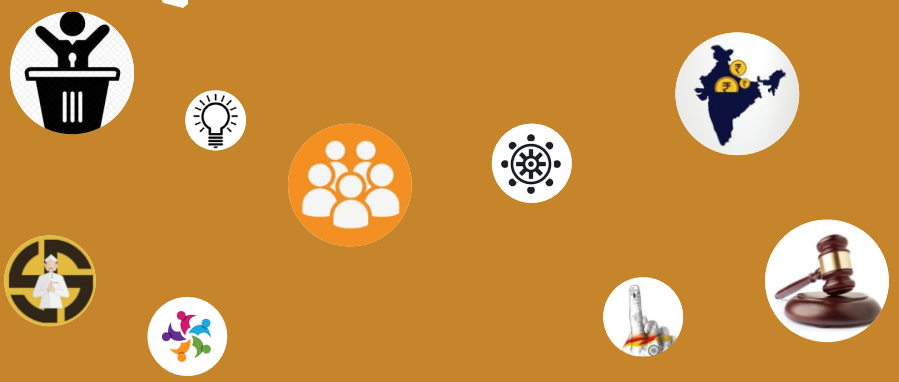

समाज शास्त्र | अर्थ शास्त्र | धर्म शास्त्र | राजनीति शास्त्र

435

- : सम्पादक :-
बजरंग लाल अग्रवाल
रामानुजगंज (छ.ग.)

सत्यता एवं निष्पक्षता का निर्भीक पाक्षिक

पोस्ट की तारीख 01/09/2023
प्रकाशन की तारीख 16/08/2023
पाक्षिक मूल्य - 2.50/- (दो रूपये पचास पैसे)
पेज संख्या - 24

“ शराफत छोड़ो, समझदार बनो ”

“ सुनो सबकी, करो मन की ”

“ समस्याओं के प्रणेता, कर कानून नेता ”

“ समाधान का आधार ज्ञान यज्ञ परिवार ”

“ चाहे कोई अत्याचार, नहीं करेंगे नही सहेंगे ”

“ हमें सुराज्य नही, स्वराज्य चाहिए ”

विकल्प पथ

– विचारक बजरंग मुनि

सृष्टि की रचना हुए चाहे हजारों वर्ष हुए हों अथवा लाखों करोड़ों, जब से यह सृष्टि बनी है तब से दो प्रवृत्तियों के बीच निरंतर संघर्ष चल रहा है। एक को कहते है सामाजिक और दूसरी को समाज विरोधी। यह युद्ध लगातार चलता आ रहा है, अब भी चल रहा है और भविष्य में भी चलता रहेगा। न कभी सामाजिक प्रवृत्ति के लोग समाप्त हुए है न ही समाज विरोधी प्रवृत्ति के लोग। किन्तु कई बार देखा गया है कि सामाजिक प्रवृत्ति के लोग बहुत मजबूत हो जाते हैं तथा दुष्ट लोग जंगलो में छिपने को मजबूर हो जाते हैं तथा कई बार तो दुष्ट लोग मजबूत हो जाते हैं एवं सामाजिक लोग गुलामों सा जीवन जीने को मजबूर हो जाते हैं। प्रारंभिक काल में इस तरह के संघर्ष को देवासुर संग्राम कहते थे, रामायण काल में मनुष्य और राक्षस की लड़ाई तथा अब सामाजिक और समाज विरोधी के बीच का संघर्ष इसी प्रकार का है। शब्द भले ही बदल गये हों किन्तु अर्थ अभी भी नहीं बदला है।

सामान्यतया सामाजिक लोगों की संख्या लगभग एक प्रतिशत तथा समाज विरोधियों की संख्या भी लगभग उतनी ही हुआ करती है। विशेष काल में यह संख्या कुछ कम ज्यादा होती रहती है। बीच के नब्बे से लेकर अठान्नवे प्रतिशत लोगों को असंबद्ध या तटस्थ माना जाता है जिन्हें हम असामाजिक कहते हैं। उदाहरण स्वरूप एक ट्रेन एक्सीडेंट में कराहते हुए यात्रियों की सेवा व सहायता करने वाले को सामाजिक या Social, यात्रियों को कराहते हुए देख व सुनकर भी चुप रहने वाले तटस्थ को असामाजिक या Unsocial तथा उनका सामान लूट ले जाने वाले व्यक्ति को समाज विरोधी अपराधी या Anti social कहा जाता है। जो तटस्थ या असामाजिक होते हैं वे अपराधी विल्कुल नहीं होते, ये पूरी इमानदारी से अपना काम करते हैं, न किसी की सहायता करते हैं और न छीनते हैं। अपना खाली समय ताश खेलने क्रिकेट देखने, भजन गाने या परिवार में व्यतीत करते हैं। ऐसे तटस्थ लोग अस्थिर हुआ करते हैं। यदि शरीफ लोग मजबूत होते हैं तो ये लोग उनके सहयोगी हो जाते है और यदि दुष्ट मजबूत होते हैं तो ये उनकी चापलूसी किया करते हैं। जब समाज में शरीफ लोग मजबूत होते हैं तथा दुष्ट पराजित हो जाते हैं तो उसे सामान्य काल कहते हैं किन्तु जब शरीफ लोग पराजित और दुष्ट लोग शक्तिशाली होते हैं तो उसे आपत्तिकाल कहते हैं। सामान्यकाल की प्राथमिकताएँ अलग और आपत्ति काल की अलग हुआ करती है।

सामान्यकाल में ऋषि–मुनि, आचार्य और विचारकों का कार्य है आध्यात्म, पूजापाठ, चरित्र निर्माण, नैतिकता का प्रसार–प्रचार, योगासन, आदि सामाजिक कार्य तथा शासन की प्राथमिकता होती है भौतिक विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण, सड़क, बिजली, आदि अनेक जन सुविधा के कार्य। किन्तु जब आपत्तिकाल होता है और शराफत संकट मे आ जाती है, तब शासन की संपूर्ण प्राथमिकता बदलकर अपराध नियंत्रण में आकर सिमट जाती है तथा ऋषि–मुनि, आचार्य एवं विचारक भी अपने सामान्य कार्य छोड़कर अपराध नियंत्रण में शासन की सहायता में आ जाते हैं। रामायण काल में दुष्ट प्रवृत्ति के लोगों की शक्ति के समक्ष सामाजिक शक्ति पराजित हो गई थी। जैसे ही आचार्यों, विद्वानों, विचारकों तथा ऋषि मुनियों ने स्थिति का ठीक–ठीक आंकलन करके आपातकालीन प्राथमिकताएँ निर्धारित कर दी, वैसे ही धर्म का अर्थ बदल जाता है। तब आश्रम हथियार बनाने लग गये तथा आश्रमों में भी मानवता की जगह पर सुरक्षा की योजनाएँ बनने लगी। भगवान राम जिस आश्रम में गये वहां से उन्हे शस्त्र भी प्रदान किए गये और शस्त्र चलाने की ट्रेनिंग भी दी गयी। जिस भगवान राम ने यज्ञ को श्रेष्ठतम् कार्य कहकर विश्वामित्र के यज्ञ की सुरक्षा की थी उन्हीं ने मेधनाद के यज्ञ का यह कहकर विध्वंस कर दिया कि आपातकाल में यज्ञ महत्वपूर्ण नहीं होता बल्कि महत्वपूर्ण होती है यज्ञ से प्राप्त शक्ति। यदि उससे सामाजिक शक्ति मजबूत हो तो ऐसे यज्ञ की सुरक्षा करनी चाहिये और यदि समाज विरोधी शक्तियॉ मजबूत होती हो तो वैसे यज्ञ का विध्वंस करना ही धर्म है। महाभारत काल में भी कृष्ण ने आपातकालीन परिभाषाएँ लागू की। आपातकाल में शराफत घातक होती है, शराफत छोड़कर समझदारी से काम लेना ही उचित होता है। भगवान श्री कृष्ण ने यदि युधिष्ठिर और अर्जुन को शराफत के स्थान पर समझदारी से काम लेने हेतु उपदेश तथा दबाव नहीं बनाया होता तो ये सब शराफत में मारे जाते। शरीफ भीष्म पितामह ने अपनी प्रतिज्ञा नही तोड़ी, अन्त तक राजगद्दी के प्रति वफादार बने रहे। दूसरी और कृष्ण ने परिस्थिति अनुसार अपनी प्रतिज्ञा का अर्थ बदलकर उसका उपयोग किया। आपातकाल में सत्य, धर्म, मानवता, शराफत आदि शब्दों का पूरा का पूरा अर्थ बदल जाया करता है। यही राम ने किया और यही कृष्ण ने किया और मैं तो कहता हूँ कि यही आज भी होना चाहिये। शराफत और समझदारी में बहुत फर्क होता है। शराफत का अर्थ होता है कर्तव्य करना, अधिकारों की चिन्ता नहीं करना। समझकारी का अर्थ होता है कर्तव्य और अधिकार दोनों की चिन्ता करना। शराफत में व्यक्ति को निराभिमानी होना चाहिये और समझदारी में स्वाभिमानी। शराफत में निर्णय भावना प्रधान तथा हृदय महत्वपूर्ण होता है, समझदारी में निर्णय विवेक प्रधान तथा मस्तिष्क महत्वपूर्ण होता है। सामान्यकाल में शराफत गुण मानी जाती है और आपत्तिकाल में घातक एवं मूर्खता। सामान्यकाल में

असंबद्ध, असामाजिक एवं दो नम्बर के लोगों से दूरी बनाकर रखने की आवश्यकता है। इस समय उन्हे नैतिक शिक्षा, हृदय परिवर्तन आदि प्रयत्नों के माध्यम से शराफत की ओर मोड़ने की आवश्यकता होती है। आपात्काल में इन दो नम्बर वालों से दूरी समाप्त करने की आवश्यकता होती है। इस समय न नैतिक शिक्षा की आवश्यकता है, न ही चरित्र निर्माण की। ऐसे समय में तो असंबद्ध अनैतिक और असामाजिक लोगों से सामंजस्य बनाने की आवश्यकता है। सामान्यकाल में ध्रुवीकरण सामाजिक अर्थात् एक नम्बर विरूद्ध अन्य होता है, आपत्तिकाल मे ध्रुवीकरण समाज विरोधी अर्थात् तीन नम्बर विरूद्ध अन्य का होना चाहिये। इसका स्पष्ट अर्थ है कि आपत्तिकाल में दो नम्बर के लोगों से शासन को तो कोई छेड़छाड़ करनी ही नहीं चाहिये, समाज को भी मित्रवत् व्यवहार बनाकर रखना चाहिये। यदि आपत्तिकाल में शासन या समाज चरित्र निर्माण, नैतिकता, आध्यात्म, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण, आबादी नियंत्रण, भौतिक विकास आदि को प्राथमिकता देता है तो यही माना जायगा कि वह परिस्थितियों को आपत्तिकाल के समान महसूस नहीं कर रहा है अथवा वह इतना नाममझ है कि स्वयं को उसके अनुरूप बदल नहीं पा रहा है अथवा वह इतना धूर्त है कि सबकुछ समझते हुए भी नामसझ बनकर समाज को धोखा दे रहा है।

पांच प्रकार के कार्य अपराध की श्रेणी में आते है 1. चोरी, डकैती, लूट 2. बलात्कार 3. मिलावट, कमतौल 4. जालसाजी, धोखाधड़ी 5. दादागिरी, गुण्डागर्दी, आतंक। ये सभी कार्य तीन नम्बर (समाज विरोधी) में शमिल हैं। इनके अतिरिक्त अन्य गलत कार्य जैसे अनैतिक, असामाजिक, गैरकानूनी दो नम्बर कहे जा सकते हैं किन्तु अपराध नहीं। इनमें जुआ, शराब, गांजा, दहेज, ब्लैक, तस्करी, छुआछूत, हरिजन, आदिवासी, महिलाएं पिछड़ा वर्ग कानून उल्लंघन, शोषण, वन अपराध आदि हजारों कानूनों का उल्लंघन शामिल है। पांच अपराध पिछले पचास वर्षों में निरंतर बढ़ रहा हैं। सामान्यतया इनका प्रतिशत समाज में एक से कम रहता है तथा अधिकतम पांच तक हो सकता है। तीन या चार अपराधी ही पंचान्नवे लोगों को भय ग्रस्त करके गुलाम बनाने के लिये पर्याप्त माने जाते हैं। वर्तमान में इन अपराधियों की संख्या तीन या चार प्रतिशत के आसपास तक आ गई है। चोरी–डकैती और लूट की स्थिति पूरे भारत में प्रत्यक्ष ही है। इसने अब व्यवसाय का स्वरूप धारण कर लिया है। बिहार और उत्तरप्रदेश से निकलकर अब यह व्यवसाय अन्य प्रान्तों की ओर भी तेजी से बढ़ रहा है। रेल यात्रा भी सुरक्षित नहीं है। झारखंड के एक थानेदार से बस लूट के अपराधियों को न पकड़ पाने के संबंध मे पूछने पर उसने मुझे बताया कि हम अपराधी को पकड़ कर देते हैं किन्तु गवाह उसके विरुद्ध गवाही नहीं देता, वकील पैसों के लिये उसकी सहायता करता है,

राजनैतिक दल वोट बैंक समझकर उसकी मदद करता है और अपराधी ठोस सबूतों और गवाहों के अभाव में छूट जाता है। वही अपराधी बाद में किसी न किसी धार्मिक, राजनैतिक, जातीय या व्यावसायिक संगठन से जुड़ जाता है और पहले से भी ज्यादा मजबूत हो जाता है। अब तो न्यायाधीशों का भी वर्तमान आचरण पहले जैसा नहीं रहा। तब क्या ऐसे वातावरण में थानेदार ही ऐसा मूर्ख है जो वह तो मेहनत करके शिकार करे और वकील, नेता, जज आदि समाज के अनेक अंग मिलकर खायें। हम स्वयं के उपयोग तक ही शिकार करते है। और पूछने पर उसने सहृदयता से कहा कि जब आप लोग यह विश्वास कर लेंगे कि सामाजिक परिवेश इस योग्य बन रहा है तो यह थानेदार भी आपसे बाहर नहीं रहेगा। उसके तर्कों के समक्ष मैं निरूत्तर था। बलात्कार और महिला अपहरण में बहुत तीव्र गति से वृद्धि भी पूरी तरह राष्ट्रव्यापी बीमारी का स्वरूप ले चुकी है। अनेक बलात्कार तो अब थाने तक भी नहीं पहुंचते। मिलावट पूरे भारत में स्वाभाविक स्वीकृति बन चुकी है। तीन नम्बर का अपराध होते हुए भी मिलावट समाज में गंभीर अपराध के समान नहीं मानी जा रहा है। कोई भी वस्तु शुद्ध मिल जायगी यह अपवाद स्वरूप ही है। शुद्ध वस्तु जब बाजार में लोकप्रिय हो जाती है तो या तो बाद में वही कम्पनी मिलावट कर देती है या उस वस्तु का नकली ब्रांड बाजार में इस तरह छा जाता है कि मिलावटी सामान की पहचान ही समाप्त हो जाती है। अब तो ISI या एगमार्का की भी पहचान विश्वसनीय नहीं रह गई है। जालसाजी भी लगातार तीव्र गति से बढ़ी है। व्यावसायिक जालसाजी तो आम बात पहले से ही है किन्तु अब तो नोट, बैंक, रेलवे टिकट, डाक टिकट, दवा, आदि महत्वपूर्ण संसाधनों एवं विभागों में भी जालसाजी तेजी से प्रविष्ट हो गई है। इनपर अविश्वास इतना गहरा हो गया है कि लोग असली चीज खरीदने से भी डर रहे हैं कि कहीं अधिक मूल्य चुकाने के बाद भी वस्तु नकली न निकल जाये। आतंकवाद पूरे भारत में अनेक रूपों में फैल चुका है। विदेशी आतंकवाद से सीमावर्ती क्षेत्र पूरी तरह अशान्त है। इस्लाम पूरी तरह आतंकवाद के शरणागत हो चुका है। संघ परिवार धीरे–धीरे हिन्दुओं को भी आतंकवाद की तरफ ढकेल रहा है। नक्सलवाद भारत के लगभग एक-चौथाई भाग में तो आतंक के माध्यम से समानान्तर व्यवस्था का रूप ग्रहण कर चुका है। शेष भारत में भी इसकी गति पर्याप्त तीव्र है। बहुत से नागरिक तो अब शान्ति व्यवस्था के लिये नक्सलवादियों पर शासन की अपेक्षा अधिक विश्वास करने लगे हैं। ऊपरोक्त पांचों अपराध पिछले पचास वर्षो से निरंतर बढ़े हैं तथा भविष्य में भी इन्हें रोकने की न तो शासन के पास कोई योजना दिखती है और न ही इच्छा शक्ति।

भारत में अपराधों में तो लगातार वृद्धि हुई ही है, छः प्रकार की समस्याएँ भी निरंतर वृद्धि पर हैं। इनमें 1. भ्रष्टाचार 2. साम्प्रदायिकता 3. जातिवाद 4. चरित्र पतन 5. आर्थिक असमानता और 6. श्रमशोषण शामिल हैं। भ्रष्टाचार की व्यापकता स्वयं सिद्ध है। इस पर कलम चलाकर प्रमाणित करने का प्रयास निरर्थक है। साम्प्रदायिकता भी निरंतर बढ़ रही है। धर्म गुणात्मक सुधार की अपेक्षा संख्या वृद्धि को महत्वपूर्ण समझने लगा है। कांग्रेस पार्टी पचास वर्षों से मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति तथा भारतीय जनता पार्टी का संघ समर्थित खेमा, जो निर्णायक रूप से मजबूत है, हिन्दू तुष्टीकरण की नीति को ही आधार बनाकर चल रहा है। जातिवाद भी लगातार अपना पैर पसार रहा है। जातीय संगठन कुकुरमुत्ते की तरह पैदा हो रहे है। भारतीय संविधान में न चाहते हुये भी मजबूरी में अल्पकाल के लिये जिस जातिवाद से आंशिक समझौता किया था उसे सत्ता संघर्ष के उद्देश्य पूर्ति के लिये खाद पानी मानकर निरंतर बढ़ाया जा रहा है। पूरे भारत के प्रत्येक नागरिक के चरित्र में गिरावट आई है तथा लगातार आती जा रही है। यदि सन् पचास में किसी का चरित्र सौ प्रतिशत था तो उसका घटकर अस्सी हो चुका है। चरित्र पतन अब साठ प्रतिशत वालों का तीस और तीस प्रतिशत वालों का शून्य तक पहुँच गया है। यदि किसी का चरित्र उस समय दस प्रतिशत होगा तो उसका चरित्र शून्य से भी घटकर आपराधिक हो चुका होगा। आर्थिक असमानता भी तीव्र गति से बढ़ी है। गरीबी तो पचास वर्षो में घटी है किन्तु आर्थिक विकास गरीबों की पैदल की चाल से बढ़ी हैं तो धनवानों की हवाई जहाज की रफ्तार से। श्रम का बुद्धिजीवियों द्वारा निरंतर योजनाबद्ध तरीके से शोषण जारी है। पचास वर्षों में श्रम का मूल्य करीब ढाई गुणा बढ़ा है जबकि बुद्धि का मूल्य पचीस से पचास गुना तक बढ़ गया है। बुद्धिजीवियों ने श्रम का शोषण करने के उद्देश्य से शिक्षित बेरोजगारी नामक एक नया शब्द बनाकर नया वर्ग पैदा कर लिया। अब उन्हें शिक्षित बेरोजगारी के नाम पर श्रम शोषण का वैधानिक और सामाजिक अधिकार प्राप्त हो गया है। इस तरह भारत में छः प्रकार की कृत्रिम समस्याएँ पचास वर्षो में निरंतर बढ़ी हैं।

पांच प्रकार के अपराधों तथा छः प्रकार की समस्याओं का लगातार बढ़ते जाना यह प्रमाणित करता है कि वर्तमान समय या तो आपातकाल है अथवा आपातकाल के निकट है। सम्पूर्ण प्रशासन को तो पूरी तरह इन अपराधों तथा समस्याओं के निराकरण में लग ही जाना चाहिये, विचारकों, समाजशास्त्रियों, गुरूओं तथा आश्रमों को भी अब आपत्तिकालीन प्राथमिकताओं पर काम शुरू कर देना चाहिये। समाज का स्वरूप तो बिखर चुका है। सामाजिक, धार्मिक अथवा आध्यात्मिक संस्थाएँ ऐसी विकट परिस्थिति में भी नैतिकता, परलोक सुधार, चरित्र निर्माण, व्यसन मुक्ति से ऊपर

उठने के लिये तैयार नहीं है। इन संस्थाओं का नेतृत्व या तो धूर्तों के हाथ में हैं अथवा ऐसे शरीफ लोगों के हाथ में जो समझदारी की आवश्यकता ही महसूस नहीं करते। ये शरीफ लोग यज्ञ मंडप में आग लग जाने के बाद भी यज्ञ के स्थान पर आग बुझाने को प्राथमिकता देने के लिये तैयार नहीं। आपत्तिकाल में भी भीष्म, अर्जुन या युधिष्ठिर के समान बात करते हैं, राम और कृष्ण के समान नहीं। ये राम और कृष्ण के अभियान में सबसे बड़ी बाधा है। स्वामी दयानन्द ने सबसे पहले स्वतंत्रता को जन्म सिद्ध अधिकार घोषित किया था एवं महात्मा गांधी ने अपनी सम्पूर्ण शक्ति स्वराज्य के लिये लगा दी थी। महात्मा गांधी को विदेशी गुलामी से मुक्ति भी मिली और वे शेष समय आन्तरिक प्रशासनिक गुलामी से मुक्ति में लगाने वाले थे। किन्तु इनके प्रमुख समर्थक आर्य समाज और सर्वोदय इस आपातकाल की स्थिति में भी व्यसनमुक्ति, स्वदेशी शिक्षा और हिन्दी की रट से आगे उठने की नहीं सोचते। गायत्री परिवार से भी जो कुछ उम्मीद थी वह भी चरित्र निर्माण तक आकर सिमट गई है। कोई भी संगठन अथवा संस्था ''परित्राणाय साधूनाम्, विनाशाय च दुष्कृताम्'' की लीक पर चलना नहीं चाहता।

प्रशासन तो सुरक्षा और न्याय के निमित्त बनाया ही गया था। किन्तु दुर्भाग्य है कि पचास वर्षों में किसी प्रधानमंत्री ने सुरक्षा और न्याय को सर्वोच्च प्राथमिकता नहीं दी। पच्चास वर्षों में एक मात्र विश्वनाथ प्रताप सिंह जी ने बहुत हिम्मत करके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनते समय डकैती उन्मूलन को अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता घोषित किया था। कुछ ही महीनों में उनके न्यायधीश भाई की हत्या तथा मुख्यमंत्री पद त्याग ने उन्हें ऐसी घोषणा के खतरे बता दिये। अब जब वे प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने गरीबी उन्मूलन, भ्रष्टाचार नियंत्रण, चेचक और अशिक्षा उन्मूलन के नारे दिये किन्तु डकैती और आतंकवाद उन्मूलन को भूल जाना ही उचित समझा। आज भी सम्पूर्ण भारत में एक भी ऐसा नेता नहीं है जो अपराध नियंत्रण के विरूद्ध प्राथमिकता की आवाज लगा सके। भारत के एक राष्ट्रपति के. आर. नारायणन जी ने राष्ट्रपति रहते हुये यह बचकानी बात कही दी कि भारत के कानून या यहॉ की व्यवस्था दोष पूर्ण नहीं बल्कि दोष यह है कि आम लोग उनका ठीक से पालन नहीं करते। सोचने की बात है कि एक पागलखाने का डाक्टर यह तर्क दे कि रोगी उसकी बात ठीक से समझता ही नहीं या उसके कहे अनुसार आचरण नहीं करता अथवा एक ट्रैफिक का सिपाही कहे कि उसके इशारे के बाद भी लोग दायें बायें चलते हैं तो वह क्या करे? यदि आम लोग कानूनों का ठीक.ठीक पालन ही करते तो फिर किसी राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री की आवश्यकता ही क्या थी? यदि देश में कोई सरकार है तो यह स्वयं सिद्ध है कि कुछ कानून तोड़ने वालों को उनका पालन करने हेतु मजबूर करने के उद्देश्य से ही उसकी नियुक्ति और स्थापना हुई है।

प्रजातंत्र में कोई भी सरकार जब न्याय और सुरक्षा देने में विफल हो जाती है अथवा वह न्याय और सुरक्षा से कतराती है तो उसे अपना अस्तित्व बनाये रखने के लिये दस प्रकार के नाटक करने पड़ते हैं। नाटक के दस सूत्र इस प्रकार हैं :–

1) समाज में कभी किसी को संगठित न होने देना। समाज को धर्म, जाति, भाषा, क्षेत्रियता, उम्र, लिंग, तथा आर्थिक स्थिति के आधार पर वर्गों में बांटकर वर्ग विद्वेष पैदा करना तथा उक्त विद्वेष को वर्ग संघर्ष तक ले जाना। धर्म के आधार पर वर्ग संघर्ष पूर्णता की ओर है, जाति के आधार पर भी लगातार वही दिशा है। भाषा का आधार चरम पर पहुँच कर अब कमजोर पड़ रहा है। क्षेत्रीयता का भी वही हाल है। उम्र का संघर्ष अपने प्रांरभिक चरम में है। गरीब अमीर के बीच का संघर्ष भी चरम पर हैं। किन्तु ये सारे संघर्ष अब तक समाज में विघटन कर रहे थे। इनसे परिवारों में विघटन नहीं हुआ था। अब सातवें विद्वेष की जो नींव पड़ी है, वह अत्यन्त ही घातक है। परिवार में पुरूष को अत्याचारी और शोषक बताकर महिलाओं में शोषित होने का जो विद्वेष पैदा किया जा रहा है वह अत्यन्त ही हानिकर परिणाम देगा। आप गंभीरता से सोचिये कि यदि पति–पत्नि के पारिवारिक जीवन में कानून और अविश्वास का प्रवेश हुआ तो कैसे आपकी आगे संतान पैदा होगी, कैसे उनका लालन–पालन होगा? महिलाओं के साथ होने वाले भेदभाव को दूर करने के नाम पर परिवारों के बीच अविश्वास समाज के लिये गंभीर समस्याएँ पैदा करेगा। भारत के राजनेता महिलाओं का एक पृथक वर्ग बनाकर वर्ग विद्वेष पैदा करने के लिये इतने उतावले हैं कि उन्होंने एक बार तो संसद में इस बात पर ही विचार किया कि क्या परिवार में महिलाओं को सप्ताह में एक दिन की छुट्टी होनी चाहिये। इस तरह हमारी सरकारें समाज को वर्गो में बांटकर वर्ग विद्वेष को वर्ग संघर्ष तक ले जाने का कार्य पूरी इमानदारी से सफलता पूर्वक कर रही है।

2) समाज में समस्याएँ पैदा करना और उनका समाधान करना। इस सूत्र के अनुसार समस्याओं का ऐसा समाधान खोजा और किया जाय जो किसी नई समस्या को जन्म दे। उक्त नई समस्या का भी ऐसा ही समाधान हो जो एक और नई समस्या को उत्पन्न करे। न कभी समस्याएँ कम हों न उनका जड़ समाधान हो।

3) आम नागरिकों को अक्षम, अयोग्य और अशिक्षित बताकर उन्हें इस सीमा तक शासन के मुखापेक्षी बना देना कि उनकी सम्पूर्ण मानसिकता गुलामों के समान हो जावे। स्वतंत्रता के पूर्व अंग्रेज यही तर्क देते थे कि भारत के आम लोग अक्षम, अनपढ़ और अयोग्य है। ये अपना निर्णय स्वयं नहीं कर सकते, इसलिये इनके हित–अहित का निर्णय करने हेतु हमारा रहना अनिवार्य है। आज के शासक भी यही कर रहे हैं। हेल्मेट पहन कर गाडी चलाना, तम्बाखू खाना या नहीं, किस उम्र में विवाह

करना, दहेज लेना या नहीं, जैसे नितान्त व्यक्तिगत या पारिवारिक अथवा गांव की गांव सम्बन्धी व्यवस्था में किन वस्तुओं पर कर लगे, गांव के शिक्षक के वेतन क्या हो, गांव में शराब बन्दी हो नहीं, जैसे नितान्त स्थानीय समस्याओं पर भी गांव के व्यक्ति या परिवार के स्थान पर उचित अनुचित का निष्कर्ष भी शासन ही निकालने लगा और शासन ही कार्यान्वित भी करने लगा। शासन की इस अति सक्रियता से आम नागरिकों को स्वयं की चिन्तन शक्ति इतनी निष्क्रिय हो गई है कि उसे एक प्रकार से मानो निष्क्रियता की जंग लग गई। आम लोग शासकीय निर्णय के उचित–अनुचित निष्कर्ष निकालने की क्षमता भी खो बैठे। साथ ही हर कार्य शासन पर निर्भर हो जाने से गांव, परिवार और व्यक्ति की भूमिका एक ऐसे मालिक के समान हो गई जो अपने प्रत्येक कार्य के लिये अपने नौकर का गुलाम हो गया। न तो उसे अपने घर का समान कहाँ रखा है यह पता हैं और न ही इसकी आवश्यकता महसूस होती है। आज भारत का आम आदमी सरकार पर इतना अधिक निर्भर हो गया है कि वह हर कार्य के लिये सरकार की तरफ देखता है तथा हर निर्णय के लिए नेताओं के तरफ।

4) अधिक से अधिक कानून बनाकर प्रत्येक नागरिक को इस प्रकार के अपराध भाव Guilty Conscious से ग्रसित करना कि कोई व्यक्ति सिर उठाकर स्वयं को एक नम्बर न कह सकें। आज भारत में इतने अधिक कानून बना दिये गये हैं कि भारत का एक भी व्यक्ति स्वयं को एक नम्बर घोषित नहीं कर सकता। किसानों के लिये न्यूनतम मजदूरी के कानून, भिखमंगों के लिये भीख मांगने का लाइसेंस, शिक्षकों के लिये ट्यूशन पर प्रतिबंध, राजनेताओं के चुनाव खर्च का सही हिसाब आदि कानून इस तरह बनाये गये कि इनका पालन करना संभव ही नहीं रहा। शासन ने बड़ी चालाकी से अपराध शब्द की परिभाषा बदलकर गैरकानूनी कार्यों को भी अपराध कहना शुरू कर दिया। अब सम्पति चोर सिर उठाकर बात करने लगा और टैक्स चोर सिर झुकाकर चलने लगा। मिलावट करने वालों की अपेक्षा अवैध शराब का व्यवसाय करने वाला अधिक शर्म महसूस करने लगा। गैर–कानूनी कार्यों में अपराधी इस प्रकार छिप गये कि जैसे भूसे के ढ़ेर मे सुई छिप जाती है। अब भी प्रतिदिन इतने नये नये अनावश्यक कानून बन रहे हैं कि परजीवी छुटभैये नेता, पत्रकार या अपराधी आम मेहनतकश इमानदार दो नम्बर वालों को ब्लैकमेल करते रहते हैं।

5) शासन ने समाज में अपनी भूमिका ऐसी बनाकर रख ली है जैसे बिल्लियों के बीच बन्दर। बन्दर अपनी सफलता के लिये हमेशा ये तीन काम करता है:–

(1) बिल्लियों की रोटी कभी बराबर नहीं होने देता है।

(2) छोटी रोटी वाली बिल्लियों को कभी संतुष्ट नहीं होने देता है।

(3) अपनी सक्रियता निरंतर बनाये रखता है।

भारत सरकार बिल्लियों को असंतुष्ट रखने का यह कार्य पूरी ईमानदारी से सफलतापूर्वक कर रही है। आर्थिक असमानता कभी न घटे, बल्कि बढ़ती ही रहे, यह पचास वर्षों से हो रहा है। गरीब लोगों का अमीर लोगों के विरूद्ध असंतोष भी कम न हो। ऐसा प्रयास भी लगातार हो रही है। बड़े लोग गरीबों का शोषण करके ही बड़े बने हैं तथा उनके विरूद्ध योजनाएं बनाना हर गरीब का कर्तव्य हैं, यह बात भी लगातार समझाई जाती हैं। कुछ लोग तो यहॉ तक समझते हैं कि आर्थिक असमानता ही भारत की सारी समस्याओं का केन्द्र है। हमें सर्वोच्च प्राथमिकता इसके समाधान को देना चाहिये। इस तरह असंतोष की आग निरंतर जलाकर रखी जा रही है। एक तरफ तो आर्थिक असमानता घटने नहीं दी जा रही है, दूसरी ओर आर्थिक असमानता घटने मे निरंतर सक्रियता बनाये रखी जा रही है। हर छोटा या बड़ा नेता गरीबी दूर करने में रात दिन लगा हुआ है और परेशान दिखता है।

6) आर्थिक असमानता वृद्धि के लिये गुप्त प्रयास करना– प्रजातांत्रिक व्यवस्था में आम नागरिकों का सरकार पर विश्वास होना सर्वाधिक आवश्यक होता है। जबकि आम जनता की भावाना के विपरीत आर्थिक असमानता में वृद्धि के प्रयास भी इस प्रकार हो रहे हैं कि आम नागरिकों को उसका अहसास न हो। इस कार्य के लिये सर्वाधिक उपयुक्त नीति मानी गई है ''सम्पन्नों पर प्रत्यक्ष कर तथा अप्रत्यक्ष सुविधा यानि Subsidy, जबकि इसके विपरीत गरीबों पर अप्रत्यक्ष कर और प्रत्यक्ष सुविधा देने की नीति अपनाई जाती है। भारत सरकार यह काम बहुत सफलतापूर्वक कर रही है। सम्पन्न लोगों पर इन्कम टैक्स नाम से एक बिन्दु का प्रत्यक्ष कर लगाकर बिजली, जमीन, ब्याज, उद्योग एवं Subsidy आदि पर भारी भरकम अप्रत्यक्ष छूट दी जाती है। दूसरी ओर गरीब और श्रमजीवियों के उत्पादन और उपभोग के सामान्य वस्तुओं पर अप्रत्यक्ष कर लगाकर प्रत्यक्ष छूट दी जाती है। पचास वर्ष का लम्बा समय बीत जाने के बाद भी भारत में अनाज, कपड़ा, दवा, ईंट, खपड़ा, साइकिल, घास, भूसा, खली, आदि हजारों ऐसी वस्तुओं पर भारी अप्रत्यक्ष कर लगते है जो मूलतः श्रमिकों के उपयोग की हैं। सरसों तेल पर कहीं दो रू. तो कहीं चार रू. प्रति लीटर का भारी कर है। साइकिल निर्माण पर दो सौ से तीन सौ रूपये तक उत्पादन कर हैं। सभी प्रकार के वनोपज के उत्पादन तथा संग्रह पर भारी कर हैं। सालबीज संग्रहकर्ता से आधा मूल्य शासन द्वारा ले लिये जाने से हमारे क्षेत्र का अस्सी प्रतिशत सालबीज पानी में बह जाता है। क्योंकि श्रमिक इकट्ठा ही नहीं

करता। श्रमिक द्वारा इकट्ठे किये गये बीड़ी पत्ता पर भी आधा मूल्य सरकार ले लेती है। अपने खेत में अपने श्रम से पैदा की गई इमारती लकड़ी काटने के नाम पर कलेक्टर और न्यायालय उसके स्वामी की भूमिका अदा करते हैं और उस लकड़ी के खरीदने वाले से तीस प्रतिशत वाणिज्य कर शासन वसूल करता है। मेरे अनुसंधान अनुसार सिर्फ वनोपज पर से सभी कर समाप्त कर दें तो गरीबो को कोई सुविधा नहीं देनी होगी तथा पर्यावरण की आवश्यकता से अधिक वृक्षारोपण भी हो जायगा। दूसरी ओर पोस्ट कार्ड, मिट्टी तेल जैसी वस्तुओं पर छूट दी जाती है, जिनका श्रमिक कम और अन्य लोग अधिक उपयोग करते हैं। सबसे खास बात यह है कि उद्योगों पर ब्याज दर कम और कृषि ऋण पर अधिक है। कृत्रिम उर्जा, अखबार तथा टेलीफोन पर टैक्स न लगाकर अनाज, तेल, वनोपज और साइकिल पर कर लगाया जाता है। इस विपरीत अर्थ व्यवस्था के ही परिणामस्वरूप भारत में आर्थिक असमानता में इतनी वृद्धि हुई है। सबसे बड़ा आश्चर्य है कि भारत के अधिकांश राजनेता या समाज शास्त्री यह साधारण जानकारी ही नहीं रखते कि रोटी, कपड़ा, दवा, साइकिल पर भारी कर है।

7) प्रशासनिक समस्याओं का आर्थिक सामाजिक समाधान तथा सामाजिक समस्याओं का प्रशासनिक समाधान करने का प्रयत्न। चोरी, डकैती, बलात्कार, मिलावट, आतंक, जालसाजी पूरी तरह प्रशासनिक समस्याएँ हैं। इनका समाधान हृदय परिवर्तन अथवा भौतिक विकास के माध्यम से करने का प्रयास करते हैं, जबकि छुआछूत, दहेज, जुआ जैसी सामाजिक समस्याओं का समाधान कठोर कानून के माध्यम से होता है। हल्की मार पीट में धारा 323 लगाकर पुलिस गिरफ्तारी न करके या कोई केश न बनाकर कोर्ट जाने की सलाह देती है जबकि जुआ में पुलिस स्वयं केश बनाकर चालान करती है। अवैध बन्दूक या पिस्तौल रखने वालों का केश छोटे कोर्ट में चलता है और जल्दी जमानत योग्य है किन्तु अवैध गांजा या अवैध अनाज का मामला अवैध शस्त्र की अपेक्षा कई गुना अधिक गंभीर भी है और विशेष न्यायालय में चलता है। इनकी जमानत भी आसान नहीं हैं। आग लगने, सांप काटने, रेल दुर्घटना आदि का मुआवजा मिल सकता है किन्तु हत्या या डकैती में मुआवजा का प्रावधान नहीं। ऐसा महसूस होता है कि अपराधी तत्व हमारी संसद में इतने शक्तिशाली स्थिति में हैं कि अधिकांश सांसद उनकी मर्जी पर काम करते हैं। वे लोग अवैध बन्दूक पिस्तौल को साधारण और अवैध अनाज गांजा को गंभीर अपराध घोषित कर देते हैं। आश्चर्य की बात है कि चोरी, डकैती और बलात्कार जैसे संगीन अपराधों में सबूत का भार पुलिस पर है तथा संदेह का लाभ अपराधी को मिलता है, जबकि आदिवासी हरिजन कानून, वन अपराध, छुआछूत

तथा अवैध अनाज आदि के मामलों में सबूत का भार अपराधी पर है और संदेह का लाभ उसे नहीं मिलता। चोरी, डकैती, बलात्कार और मिलावट में शत प्रतिशत न्याय तक की पूरी सतर्कता रखी जाती है और दहेज, वन अपराध, आदिवासी, हरिजन आदि अनेक मामलों में न्यायालय की परिधि से बाहर रखने की अलोकतांत्रिक प्रणाली तक की कठोरता बरती जाती है। कई मामलों में इतनी कठोरता है कि वकील तक खड़ा नहीं हो सकता।

8) समाज में वैचारिक मुद्दों के स्थान पर भावनात्मक मुद्दों को आगे लाना– आवश्यकता इस बात की है कि समाज में राजनैतिक बहस के प्रमुख मुद्दे वैचारिक होने चाहिये। किसी दल ने कितनी योग्यता और सक्षमता से काम किया, इसके गुण दोष पर चर्चा होनी चाहिये किन्तु दुर्भाग्य है कि भारत में राजनैतिक बहस कभी प्याज और टमाटर पर केन्द्रित कर दी जाती है तो कभी मंदिर और गोहत्या पर। एक बार तो श्रीमती गांधी की हत्या को ही वोट प्राप्त करने का आधार बनाया गया। आज तक कभी भी किसी दल ने वैचारिक मुद्दों को सामने लाने का प्रयास नहीं किया। जिस देश में प्याज और मंदिर जैसे अल्पकालिक तथा भावनात्मक मुद्दों पर पांच वर्ष की सरकार बनाने की कोशिश होती है, वहॉ की स्थिति की मात्र कल्पना ही की जा सकती है। संसद में भी शायद ही कभी गंभीर विचार होता हो अन्यथा आम तौर पर जनता की भावनाओं को उद्वेलित करने वाली भाषा, भाषण या क्रियाएँ ही वहॉ देखने को मिलती हैं। बात–बात में संसद से बहिर्गमन या शक्ति प्रयोग आम बात हो गई है। अब तो संसद, या राजनीति में खिलाड़ी, मजाकिया, ऐक्टर जैसे कला–प्रमुख भीड़ को आकर्षित करने वाले भी महत्वपूर्ण स्थान पाने लगे हैं।

9) समाज शब्द की महत्ता को लगातार कमजोर करके राष्ट्र शब्द को व्यापक स्वरूप देना– पूरे भारत में यह कार्य योजनापूर्वक चलाया जा रहा है। अब तो स्थिति यह है कि सिर्फ राजनीतिज्ञ ही नहीं, समाजशास्त्री या धर्म गुरू भी राष्ट्र को समाज से अधिक महत्वपूर्ण मानने लगे हैं। मैने शाहजहाँपुर कालेज में यह प्रश्न किया कि राष्ट्र बड़ा है या समाज, तो सभी विद्यार्थियों तथा प्राध्यापकों ने राष्ट्र को ही बड़ा बताया । मैंने फिर पूछा कि पाकिस्तान का नागरिक समाज का अंग है या नहीं तब उन्हें अपनी भूल का अहसास हुआ। राष्ट्र की एक भौगोलिक सीमा होती है किन्तु समाज की नहीं। भारतीय समाज, पाकिस्तानी समाज, हिन्दू समाज, ईसाई समाज, ये सभी समाज के भाग (Part) होते है, प्रकार (Kind) नहीं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई टुकड़ा मूल से बड़ा हो। किन्तु बड़ी चालाकी से राष्ट्र शब्द को समाज से ऊपर कर दिया गया है और समाज शब्द को हिन्दू–मुसलमान, महिला–पुरूष आदि में बांटकर उसकी महत्ता को घटा दिया गया है।

10) अपने कार्यों की प्राथमिकताओं के क्रम को पूरी तरह उल्टा Reverse कर देना– कुल समस्याएँ पांच प्रकार की होती है

1– वास्तविक या स्वाभाविक–चोरी, डकैती, बलात्कार, मिलावट, कमतौल, जालसाजी–धोखाधड़ी, गुण्डागर्दी और आतंकवाद।

2–कृत्रिम या बनावटी– भ्रष्टाचार, साम्प्रदायिकता, चरित्र. पतन, जातीवाद आर्थिक असमानता, श्रम शोषण।

3–प्राकृतिक– भूकम्प, बाढ, सूखा, बीमारियों का प्रकोप।

4–भूमण्डलीय– पर्यावरण प्रदूषण, बढ़ती आबादी, पूँजीवाद की बढ़ती शक्ति ।

5–भ्रम या अस्तित्वहीन– महंगाई, दहेज, शिक्षित बेरोजगारी, अशिक्षा का नैतिकता पर दुष्प्रभाव, मुद्रास्फीति का गरीबों पर दुष्प्रभाव, बालश्रम, उत्पादक और उपभोक्ता के बीच बढ़ती दूरी, शोषण, अल्पसंख्यकों पर बहुसंख्यकों का दबाव,

श्रृष्टि के प्रारंभ से आज तक शासन का सर्वोच्च दायित्व है. न्याय और सुरक्षा। यदि हम प्राथमिकताओं का क्रम निर्धारित करें तो वह ऊपर लिखा क्रम ही होना चाहिये। किन्तु जब शासन सुरक्षा और न्याय न दे सके तथा उसे दस प्रकार के नाटक करने हों तो उसे ऊपर लिखी प्राथमिकताओं को पूरी तरह उलट कर विपरीत क्रम में कर देना चाहिये। वर्तमान शासन भी पचास वर्षों से अपनी प्राथमिकताएँ पूरी तरह उलट कर काम कर रहा है अर्थात अब शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता भ्रम या अस्तित्वहीन समस्याओं का समाधान है तथा सबसे अन्त में वास्तविक अपराध नियंत्रण है।

मैंने लगातार पच्चीस तीस वर्षों तक गंभीर अनुसंधान करने के बाद भी यही पाया कि महंगाई और दहेज, पूरी तरह काल्पनिक समस्याएँ हैं। शिक्षित बेरोजगारी शब्द ही बुद्धिजीवियों द्वारा श्रम के शोषण के लिये पैदा किया गया है अन्यथा शिक्षित व्यक्ति अधिक अच्छे रोजगार की प्रतीक्षा में रहता है न कि बेरोजगार। शिक्षा न नैतिक होती है न ही अनैतिक। शिक्षा का व्यक्ति के चरित्र से कभी कोई संबंध नही होता। शिक्षा व्यक्ति की क्षमता का ही विकास करती है। व्यक्ति डाकू बनेगा कि सिपाही यह शिक्षा का परिणाम नहीं है। मुद्रा स्फीति बढ़ने का गरीबों पर दुष्प्रभाव भी नासमझी ही है। मुद्रा स्फीति बढ़ने से नगद रूपये की क्रय शक्ति घटती है न कि श्रम, बुद्धि या अन्य सम्पत्ति की।

बालश्रम भी कोई समस्या नही हैं जिसका शासन समाधान करे। उत्पादक और उपभोक्ता भी कोई पृथक–पृथक वर्ग न होकर प्रत्येक व्यक्ति के ही दो स्वरूप हैं। अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक की समस्या भी नहीं है। प्रजातंत्र में व्यक्ति एक इकाई होता है। शासन के समक्ष कोई अल्पसंख्यक हो ही नहीं सकता। ये सभी समस्याएँ यद्यपि काल्पनिक तथा अस्तित्वहीन हैं किन्तु इनका लगातार सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर समाधान हो रहा है जबकि अस्तित्वहीन होने से सभी समाधान भी हवा में लाठी चलाने के समान हैं। सबसे आश्चर्यजनक तथ्य यह है कि लगातार प्रचार के कारण भारत का आम नागरिक इन अस्तित्वहीन समस्याओं से त्रस्त भी महसूस कर रहा है तथा समाधान में शासन का सहयोग भी कर रहा है। शासन कभी इन समस्याओं को कम और कभी ज्यादा बताता रहता है जबकी अस्तित्वहीन समस्याएँ कम ज्यादा होती ही नहीं।

दूसरी ओर शासन का सबसे कम प्रयास अपराध नियंत्रण के लिये हैं। केन्द्र और प्रदेश सरकारों के कुल वार्षिक बजट का सिर्फ एक प्रतिशत ही पुलिस और न्यायालय पर खर्च होता है। इस एक प्रतिशत का भी नब्बे प्रतिशत बजट धान, गांजा, वन उत्पादन, जुआ, शराब, वैश्यावृति, छुआछूत, आदिवासी हरिजन अपराध आदि दो नम्बर के कार्य नियंत्रण पर ही खर्च होता है। इस तरह सम्पूर्ण बजट का दशमलव एक प्रतिशत ही न्याय और पुलिस के अपराध नियंत्रक स्वरूप पर व्यय होता है जिस तरह कोई खाना खाकर जूठी पत्तल किसी की ओर सरका देता है। बहुत दुख होता है देखकर कि वाड्रफनगर में रिबई पंडो के भूख से मरने की खबर पाकर मध्यप्रदेश सरकार तो पूरी तरह ही हिल गई थी। प्रधान मंत्री नरसिंहराव भी दौड़े–दौड़े वाड्रफनगर आये थे क्योंकि एक आदमी भूख से मर गया था। उसके ठीक दो दिन बाद बलरामपुर में एक घर में घुसकर डाकुओं ने लूटपाट के क्रम में दो हत्याएँ कर दी तो कलेक्टर भी नहीं आया। डकैत हत्या और भूख हत्या में इतना नाटकीय अन्तर मैं रोज देख रहा हूँ। भले ही लोग डाकुओं से मारे जावें किन्तु भूख से मृत्यु शासन की प्रतिष्ठा का प्रश्न है। अभी कुछ दिन पूर्व ही सर्वोच्च न्यायालय ने किसी प्रदेश में एक भी भूख मृत्यु की स्थिति में उस प्रदेश के मुख्य सचिव को जिम्मेवार घोषित किया है किन्तु उसी सुप्रीम कोर्ट ने हत्या, डकैती, आतंक और बलात्कार के लिये मुख्य सचिव को दोषी और जिम्मेवार नहीं माना। समझ में नहीं आता कि क्या सम्पूर्ण कुएँ में ही भांग घुली है कि जो भी उसका पानी पीता है वही एक समान हरकत करने लगता है। हत्या और मृत्यु का अन्तर तो सामान्य नागरिक भी कर सकता है किन्तु कार्यपालिका और विधायिका जैसे प्रजातंत्र के ठेकेदार प्रहरी पता नहीं क्यों ऐसी बातें कर रहे हैं।

भारत का आम नागरिक जानता है कि भ्रष्टाचार, जातिवाद, साम्प्रदायिकता, चरित्र पतन,

आर्थिक असमानता तथा श्रम शोषण कृत्रिम समस्याएँ है जो शासन द्वारा समाज के बीच अनावश्यक हस्तक्षेप का परिणाम हैं। मैं दिल्ली जाने के लिए गढ़वा रेलवे स्टेशन पर टिकट की कतार मे खड़ा था। कई लोग प्रभाव से या धक्का देकर पहले टिकट लेने में सफल हो रहे हैं और हमारी लाइन बहुत धीरे .धीरे बढ़ रही थी। ट्रेन का समय होते देखकर मेरा लड़का भी मुझसे अनुमति लेकर वैसा ही करता है। टिकट लाने के बाद मैंने उसे एक अशक्त वृद्धा को धक्का देने के विरूद्ध कहा तो उसका सीधा कहना था कि धक्का मजबूत को नहीं दिया जाता। जो हमसे मजबूत थे उन्होंने हमें धक्का दिया और जो कमजोर थे उन्हें मैने धक्का दिया और तर्क करने पर उसने सीधा प्रश्न किया कि क्या ट्रेन छोड़ देना उचित है? आप लोग तो जीवन भर धूर्तो और गुण्डों को ट्रेन पर सवार होते देखकर भी ट्रेन छोड़कर खड़े रहे। हम ऐसा नहीं होने देंगे, या तो सब लाइन में होंगे या हम भी उसी तरह तैयार हैं जैसे और लोग। मैं निरूत्तर था, मैं मानता हूँ कि उक्त चुप्पी मेरा चरित्र पतन था किन्तु ट्रेन छोड़ने के तर्क में भी पर्याप्त दम था। आज प्रतिदिन ऐसे अवसर आते है कि शासन के कानूनों का उल्लंघन करने वाला पालन करने वाले से अधिक सुखी है। ऐसी घटनाएँ प्रायः हो रही है। हमारे अनुसंधान में यह भी पूरी तरह सिद्ध हैं कि ये छः कृत्रिम समस्याएँ मामूली कानूनी हेर फेर से ठीक हो सकती हैं किन्तु इसके लिये कोई प्रयास नहीं होता। इससे अधिक प्रयास तो पर्यावरण प्रदूषण, आबादी नियंत्रण जैसी समस्याओं के समाधान में किया जा रहा है जो शासन के लिये प्राथमिकता के क्रम में इनके बाद होनी चाहिये।

भारत में वर्तमान जो भी समस्याएँ हैं उनके समाधान पर गंभीरता पूर्वक चिन्तन–मंथन किया गया।

1) यह मानव प्रकृति है कि किसी कार्य के परिणाम से प्रभावित व्यक्ति और कर्ता के बीच दूरी जितनी अधिक होगी उस कार्य की गुणवत्ता उतनी ही कम होती जायेगी। इस मानव प्रकृति के आधार पर शासन का हस्तक्षेप किसी भी कार्य में न्यूनतम ही होनी चाहिये।

2) समाज शास्त्रियों ने भी प्रमाणित किया है कि किसी अच्छी से अच्छी व्यवस्था से भी अपनी व्यवस्था अधिक अच्छी होती है। इस नीति निष्कर्ष के भी आधार पर शासन के दायित्व न्यूनतम ही होना चाहिये।

3) राजनीतिक सूझ–बूझ यही कहती है कि जिस शासन की नीयत संदेहास्पद हो उसे एक क्षण भी स्वीकार करना गुलामी का प्रतीक है। वर्तमान शासन अपने प्रमुख दायित्व सुरक्षा और न्याय से मुँह फेर रहा हैं, अपराधियों से साठ गांठ कर रहा है, अधिकारों का दुरूपयोग करके नित नई समस्याएँ

पैदा कर रहा है, तथा शासन दस प्रकार के ऐसे नाटक कर रहा है जो शासन को फूट डालकर राज्य करने में सहायक हो सके।

इसलिये वर्तमान समस्याओं का पहला समाधान यही है कि शासन के हस्तक्षेप, दायित्व तथा अधिकार न्यूनतम हो। इस प्रयास को लोकस्वराज्य का नाम दिया जाय। हम शासन के अधिकार, दायित्व तथा हस्तक्षेप को इस सीमा तक कम कर दें कि व्यक्ति को व्यक्तिगत, परिवार को पारिवारिक, गांव को गांव सम्बन्धी, जिला को जिला संबंधी, प्रदेश को प्रदेश संबंधी तथा राष्ट्र को राष्ट्रीय मामलों की सीमा में निर्णय की पूरी स्वतंत्रता हो। किसी भी इकाई का किसी भी अन्य इकाई के इकाईगत मामलों में हस्तक्षेप न हो। शासन प्रत्येक इकाई को उक्त स्वतंत्रता की सुरक्षा गारंटी दे। इस तरह देश की अधिकांश समस्याएँ तो अपने आप ही सुलझ जायेंगी। कुछ शेष बची समस्याएँ मामूली संवैधानिक हेर फेर से समाप्त हो जावेंगी। पच्चीस वर्षों का यही निष्कर्ष है कि भारत की सभी समस्याओं का एक मुश्त समाधान लोक स्वराज्य में ही निहित है।

आज भारत में कई और भी संस्थाएँ इस निष्कर्ष पर पहुंची हैं, किन्तु उनकी व्यक्तिगत कमजोरियाँ उन्हें स्पष्ट स्वरूप नहीं दे पा रही है। यह मानव स्वभाव है कि वह ऊपर वाले से तो स्वतंत्रता चाहता है किन्तु नीचे वालों को निर्णय की स्वतंत्रता नहीं देना चाहता। यही दुविधा लोक स्वराज्य अथवा ग्राम स्वराज्य के लिये काम करने वाली संस्थाओं के साथ भी है। ऐसी संस्थाएँ ग्राम स्वावलम्बन, नशामुक्ति, सर्व शिक्षा, स्वदेशी, अन्त्योदय जैसे प्रयासों को ग्राम स्वराज्य के लिये सहायक रूप में मानकर इन सबको ग्राम स्वराज्य के साथ जोड़ देती है जबकि सच्चाई यह है कि ये सभी कार्य ग्राम स्वराज्य के न तो सहायक है न ही आधार। इसके विपरीत ये सब तो ग्राम स्वराज्य के परिणाम है। यही कारण है कि पूरी इमानदारी और लगन से काम करने के बाद भी ग्राम स्वराज्य के पक्ष में कोई जन जागृति नहीं बन पा रही है। ग्राम स्वराज्य जितना ही जनता के बीच आगे बढ़ता है उससे कई गुना अधिक ये अन्य बोझिल प्रयास उसे पीछे खींच देते हैं। सुराज्य के प्रयास लोक स्वराज्य में बाधक हैं किन्तु यह साधारण सी बात भी हमारे मित्र नहीं समझ रहे। इसीलिये अन्य संगठनों के होते हुये भी हम लोगों ने लोक स्वराज्य मंच नाम से पृथक प्रयास करना तय किया। हम लोक स्वराज्य या ग्राम स्वराज्य के लिये काम करने वाली किसी भी संस्था के साथ हैं किन्तु हम लोक स्वराज्य के अतिरिक्त किये जाने अन्य प्रयासों में उनके साथ नहीं।

4 नवम्बर 1999 को हम सब लोगों ने यह निष्कर्ष निकाला कि भारत की सभी समस्याओं का समाधान का एक मात्र रास्ता लोकस्वराज्य ही है। किन्तु किसी भी अनुसंधान के परिणामों को और

अधिक विश्वसनीय बनाने के लिये उसके कहीं सफल प्रयोग की आवश्यकता होती है। मुझे रामानुजगंज शहर का नगर पंचायत अध्यक्ष चुनकर लोक स्वराज्य पद्धति से व्यवस्था का दायित्व दिया गया। मैंने चुनौती स्वीकार की। मैंने अध्यक्ष बनने के बाद नगर पंचायत व्यवस्था में व्यापक कानूनी संशोधन किये। सत्रह सदस्यों की परिषद के अतिरिक्त चालीस लोगों का एक पृथक मंत्रिमंडल बना तथा बाहर सौ लोगों की एक मतदाता परिषद का गठन किया गया। पंचायत परिषद में प्रस्ताव पारित होने की न्यूनतम मत संख्या इक्यावन प्रतिशत से बढ़ाकर अस्सी कर दी गई और यदि पार्षदों की सहमति अस्सी प्रतिशत से कम है तो वह प्रस्ताव मंत्रिमंडल में पारित होगा। यदि मंत्रिमंडल में भी बीस प्रतिशत विरोध होता है तो प्रस्ताव पुनः मतदाता परिषद में जायेगा। इसी तरह एक अन्य संशोधन द्वारा शहर में चोरी, डकैती तथा दादागिरी और गुण्डागर्दी रोकने का दायित्व भी नगर पंचायत ने सम्हाल लिया। ऐसे संशोधन के दूरगामी परिणाम हुये। नगर पंचायत में अल्पमत को भी महत्व मिला तथा नागरिकों की भी सहभागिता बढ़ी। पिछले वर्षों में नगर पंचायत का विकास खर्च सत्तर गुना तक बढ़ गया जो एक रिकार्ड है। पूरे शहर में नगर पंचायत रात्रि गश्त कराती है तथा चोरी रोकने में पुलिस की सहायता करती है। पिछले तीन वर्षों से शहर में एक भी ऐसी चोरी नहीं हुई जो पकड़ी न जाये। दादागिरी और गुण्डागर्दी भी शून्यवत् है। राजनैतिक दादागिरी भी नहीं है।

अपराध नियंत्रण में अपराध और गैर–कानूनी की पहचान बहुत बाधक थी। रामानुजगंज में यह कार्य किया गया। तीन नम्बर वालों की दो नम्बर से पृथक पहचान की गयी। एक नारा दिया गया कि गर्व से कहो हम दो नम्बर हैं। तीन नम्बर अपराध है, दो नम्बर के काम तो शासन के अनावश्यक हस्तक्षेप का परिणाम है। इससे आम लोगों का मनोबल ऊँचा हुआ और अपराधियों का गिरा। आम नागरिकों को लगातार यह भी समझाया गया कि आपत्तिकाल में शराफत धूर्तों का भोजन है। अतः आप लोग शराफत छोड़िये, समझदारी अपनाइये।

इन सब प्रयासों से रामानुजगंज नगर में जहॉ सुरक्षा और समझदारी मजबूत हुई है वहीं विकास का भी मार्ग खुला है। हम रामानुजगंज में प्रयोग करके सम्पूर्ण भारत में यह संदेश देने में सफल हुये हैं कि भारत की अधिकांश समस्याओं का समाधान लोक स्वराज्य प्रणाली में है। सच्चाई तो यह है कि तानाशाही का विकल्प प्रजातंत्र है और प्रजातंत्र का विकल्प लोक स्वराज्य।

यह बात प्रमाणित हो चुकी है कि लोक स्वराज्य ही भारत की वर्तमान व्यवस्था का एक मात्र विकल्प है। यह काम अत्यन्त आसान भी है। भारत के आम नागरिक को यह बात वैचारिक

आधार पर समझने की आवश्यकता है। लोक स्वराज्य मंच इस काम में तन्मयता से लगा है तथा आपसे भी यही अपेक्षा है।

–विविध विषयों पर बजरंग मुनि जी के महत्वपूर्ण विचार–

1. मुफ्त की रेवड़ी बाँटना गलत है– कल मैंने लोकसभा में दिए गए प्रधानमंत्री के भाषण को सुना। भाषण का 90% अंश तो राजनीतिक था। इसमें कोई महत्वपूर्ण बात नहीं थी, लेकिन आर्थिक मामलों में प्रधानमंत्री ने एक गंभीर बात कही है। उन्होंने देश को सावधान किया है कि पड़ोसी देश मुफ्त का बांटकर कर्ज में डूब गए और उन्हें अंत में असफल होने की स्थिति तक आना पड़ा इससे हमें इस बात से सबक लेना चाहिए। भारत में भी अनेक लोग मुफ्त बांटने की अनावश्यक सलाह देते रहते हैं जबकि वे पड़ोसी देशों से कोई अनुभव नहीं लेना चाहते। सच बात यह है कि आम लोगों से अधिक से अधिक टैक्स लेकर अधिक से अधिक बांटना यह बुरी आदत है। हम भारत को दुनिया के संपन्न राष्ट्रों की दिशा में ले जाना चाहते हैं। उसके लिए आवश्यक है कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था सुधरे। हम लगातार प्रेरित कर रहे हैं कि आम लोगों की क्रयशक्ति तो बढ़े, लेकिन मुफ्त में खाने और मांगने की आदत से छुटकारा पाया जाए। जबकि विपक्षी दल लगातार यह मांग कर रहे हैं कि क्रय शक्ति भले ही ना बढ़े, लेकिन उन्हें मुफ्त और सस्ता सामान मिलना चाहिए। नरेंद्र मोदी की तरह मैं भी विपक्षी दलों की नीतियों से सहमत नहीं हूं। भारत के आम लोग कम मेहनत कर के मुफ्त का खाने लगे और भारत विदेशों के कर्ज में डूब जाए, यह उचित नहीं है। लेकिन विपक्षी दल लगातार इस दिशा में बढ़ रहे हैं।

2 . भारत में राजनीतिक उथल–पुथल और विपक्ष की नकारात्मक भूमिका– मुझे नरेंद्र मोदी का पक्षधर माना जाता है और मैं वैसा हूं भी। नरेंद्र मोदी पूरी तरह उस लाइन पर चल रहे हैं जो मैं अबतक सोचता और लिखता रहा। मैं चाहता था कि गांधी और सावरकर के बीच में विवाद पैदा करके दुकानदारी करने वाले गांधीवादियों और सावरकरवादियों को किनारे कर दिया जाए। मैं चाहता था कि अल्पसंख्यक तुष्टीकरण को समाप्त करके हिंदुओं को भी समानता का अधिकार दिया जाए। मैं यह भी चाहता था कि अपराधियों पर लगाम लगाने के लिए नरेंद्र मोदी अधिकाधिक शक्तिशाली हो तथा अन्य मामले अपने मंत्रिमंडल के साथियों पर छोड़ दें। अब तक मैं संतुष्ट हूं कि इन सब मामलों में नरेंद्र मोदी लगातार ठीक दिशा में बढ़ रहे हैं और विपक्ष लगातार गलत दिशा में जा रहा है। धारा 370 समाप्त हुई तब भी विपक्षी दलों को कष्ट हुआ था। समान नागरिक संहिता लागू करके हिंदुओं को भी बराबरी का अधिकार देने की कोशिश हुई है और हो भी रही है, तब भी विपक्षी दलों को कष्ट

हो रहा है। यदि नरेंद्र मोदी भ्रष्टाचार और अपराध रोकने के लिए शक्ति केंद्रीकृत कर रहे हैं तब भी विपक्ष को कष्ट हो रहा है। दूसरी ओर नरेंद्र मोदी कोई भी क्षेत्रीय मामले गृह मंत्री अमित शाह या अन्य मंत्रियों पर छोड़ रहे हैं तब भी विपक्ष को कष्ट हो रहा है। विपक्षी दल दो विपरीत प्रश्न एक साथ मोदी से कर रहे हैं। पहला कि नरेंद्र मोदी लगातार अपने पास सत्ता का केंद्रीयकरण कर रहे हैं और नरेंद्र मोदी तानाशाह बनते जा रहे हैं। दूसरा प्रश्न यह है कि यदि मणिपुर में कोई सांप्रदायिक दंगा हुआ है तो मोदी को संसद में उत्तर देना चाहिए। यदि कहीं बलात्कार हो जाए तो विपक्ष उसके लिए नरेंद्र मोदी को ही उत्तरदाई मानते हैं। यह दोनों बिल्कुल विपरीत बातें हैं। नरेंद्र मोदी ने यदि मणिपुर में कोई हस्तक्षेप ना करके गृहमंत्री को सक्रिय होने दिया तो इसमें गलत क्या है?मैं आज तक नहीं समझ सका कि मैं नरेंद्र मोदी का खुलकर समर्थन क्यों ना करूं? जो भी मित्र विपक्षी दलों का समर्थन कर रहे हैं उन्हें इस बात का जवाब अवश्य देना चाहिए।

3. भावनाओं को भड़काकर सांप्रदायिक दंगे करवाना सर्वथा गलत है– हरियाणा के मेवात जिले में हिंदू मुसलमान के बीच सांप्रदायिक दंगा हुआ है। इस जिले में मुसलमानों की संख्या अधिक है। वर्तमान समय में इस प्रकार के दंगे क्यों हो रहे हैं जबकि 50 वर्ष पहले ऐसे दंगे कम होते थे। इसके कारणों को मैंने समझा है। पुराने समय में हिंदू एकजुट भी नहीं था और हिन्दुओं का मनोबल भी बिल्कुल गिरा हुआ था। मैंने स्वयं देखा है कि उस कालखंड में कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक रूप से अपने को हिंदू कहने तक से डरता था। सरकार भी मुसलमानों के पक्ष में थी। बात–बात में मुसलमानों की भावनाएं भड़क जाया करती थी। कश्मीर के हजरत बल दरगाह में कोई मोहम्मद साहब का बाल चोरी हो गया था तो पूरे देश के मुसलमानों की भावनाएं भड़क गई थी, म्यानमार में रोहिंग्या मुसलमानों के साथ अत्याचार हुआ था तो भारतीय मुसलमानों की भावनाएं भड़क गई थी। ऐसी घटनाएं आमतौर पर होते रहती थी। कश्मीर में तो कश्मीरी पंडितों को बिना कारण ही मार कर भगाया गया था। 20 वर्ष पहले गोधरा में पहली बार मोदी के नेतृत्व में हिंदुओं ने सड़कों पर मुकाबला किया। धीरे–धीरे देशभर का हिंदू एकजुट होने लगा। अब मुकाबला लगभग बराबरी का हो गया है। पहले सिर्फ मुसलमानों की ही भावनाएं भड़कती थी, तो अब हिंदुओं की भी भावनाएं भड़क रही है। उत्तर प्रदेश तो शांत हो गया क्योंकि उत्तर प्रदेश में अब मुसलमानों की भावनाएं नहीं भड़क रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश को छोड़कर अन्य प्रदेशों में अभी भी मुसलमानों की भावनाएं भड़क जाने का खतरा है। इसलिए देश के अन्य क्षेत्रों का हिंदू भी अपनी भावनाओं को तब तक जिंदा रखने के लिए मजबूर है जब तक मुसलमानों की भावनाएं भड़कने वाला खतरा ना टल जाए। भारत के विपक्षी

राजनैतिक दल जितनी जल्दी इस सच्चाई को समझ लेंगे उतना ही अच्छा होगा।

4. N.D.A. बनाम I.N.D.I.A.- भारत में आजकल राजनीतिक उथल–पुथल मची हुई है। विपक्ष के अनेक दलों के गठबंधन ने अप्रत्यक्ष रूप से अपना नाम UPA से बदलकर I.N.D.I.A. कर लिया है तो N.D.A. भी उपलब्ध अनुमानों के आधार पर विपक्ष को बहुत पीछे छोड़ने के लिए तैयार है। ऐसे ही वातावरण में अरविंद केजरीवाल ने यह घोषणा कर दी कि उनके हिसाब से यदि N.D.A. जीत जाता है तो यह अंतिम चुनाव होगा और भविष्य में ना कोई चुनाव होगा ना हमें चुनाव लड़ने का अवसर मिलेगा। राहुल गांधी ने भी भावावेश में कुछ इसी तरह के शब्द कहे। क्या भारत की जनता यह मान ले कि अरविंद केजरीवाल या अन्य विपक्षी नेता भविष्य में कोई चुनाव नहीं लड़ेंगे। यदि हमारे नेता ऐसी बात नहीं कह पाते हैं तो यह बात स्पष्ट होती है कि वह झूठ का पहाड़ खड़ा कर रहे हैं। अब तक ना तो सत्तापक्ष ने ऐसा कोई संकेत दिया है कि यह अंतिम चुनाव होगा और ना ही विपक्ष यह मानकर चल रहा है, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने इस प्रकार की बात कहकर एक नई बहस छेड़ दी है। अरविंद केजरीवाल को यह बात साफ करनी चाहिए कि यदि नरेंद्र मोदी ही फिर से प्रधानमंत्री बन गए और भारी बहुमत से चुनाव जीत गए तब नए वातावरण में हम लोगों का कोई भविष्य ही नहीं होगा। मुझे ऐसा लगता है कि सनसनी फैलाने के लिए राहुल गांधी ने इस तरह की बचकानी बात कही है।

प्रेस विज्ञप्ति

रामानुजगंज के 60 वर्षों से भी पुराने श्रद्धेय बजरंग मुनि जी एवं उनके साथियों के उपक्रम ज्ञानयज्ञ परिवार की एक बैठक आमंत्रण धर्मशाला में दिनांक 6–8–2023 को दिन रविवार सायं 7 बजे सम्पन्न हुई।

रामानुजगंज के बिगड़ते सौहार्दपूर्ण गैर साम्प्रदायिक एवं अपराधविहीन वातावरण पर बजरंग मुनि जी ने चिंता व्यक्त करते हुए नगरवासियों की एकता के बल पर किए कामों की चर्चा की। उन्होंने याद दिलाया कि कैसे छत्तीसगढ़ झारखंड में बढ़ते नक्सलवाद के बीच अपराधविहीन नगर घोषित किया गया। उन्होंने याद दिलाया कैसे नगर के बिगड़ते साम्प्रदायिक सौहार्द के बीच कट्टरवाद को नियंत्रित कर मानवीय व्यवस्था बनाई गई। उन्होंने याद दिलाया की ज्ञानयज्ञ परिवार सदा से लोगों के सुख दुख में संवेदनापूर्ण एक मजबूत व्यवस्था के रूप में हमेशा खड़ा रहा है।

ज्ञानयज्ञ परिवार को अब तक बजरंग मुनि जी अपने व अपने मित्रों के आर्थिक सहयोग से चलाते आए हैं। पूरे देश में बुद्धिजीवियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं के बीच जाने वाली पाक्षिक पत्रिका 'ज्ञान तत्व' के सफलतापूर्वक संचालन को एवं दिल्ली से संचालित 'संविधान मंथन समिति' की भी जिम्मेदारी ज्ञानयज्ञ परिवार के ही ऊपर है। समाज और देश के प्रति अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन रामानुजगंज की जनता के सहयोग से ज्ञानयज्ञ परिवार सदा करता आया है। इस ''वैचारिक संतुलनवादी हिंदुत्व की प्रयोगशाला'' को एक आत्मनिर्भर संस्थागत स्वरूप देने के लिए पिछले कुछ महीनों से लगातार विचार विमर्श किया जा रहा है। रामानुजगंज नगर के समृद्धशाली इतिहास और ज्ञानयज्ञ परिवार को सहेजने के लिए मुनि जी ने उपस्थित लोगों से आग्रह किया। उन्होंने अपनी प्रत्यक्ष उपस्थिति में सितम्बर माह के उत्तरार्ध में रामानुजगंज नगर के प्रत्येक वार्ड में सामूहिक यज्ञ करने की घोषणा की। इसी के साथ आगे ज्ञानयज्ञ परिवार की होने वाली मासिक बैठक एक स्थान पर ना होकर अलग–अलग वार्डों में सामूहिक यज्ञ के साथ किए जाने पर सभी सदस्यों ने सहमती व्यक्त की।

ज्ञानयज्ञ परिवार सदस्यता अभियान के माध्यम से लोगों को जोड़ेगा। जिसके प्रथम चरण में रामानुजगंज नगर द्वितीय चरण में छत्तीसगढ़ राज्य और सम्पूर्ण भारतवर्ष में सदस्यों को तैयार किया जाएगा। मुनि जी ने अब तक कई बार भारत भ्रमण कर जगह जगह 'ज्ञानकेन्द्र' स्थापित किए हैं। जिन्हें कोरोना काल के बाद अब पुनः सघन अभियान चला कर योजना के लिए तैयार किया जाएगा।

बैठक में अयोध्या के रहने वाले समाजसेवी विचारक ज्ञानेंद्र आर्य सहित मोहन गुप्ता, रामसेवक गुप्ता, विमलेश सिन्हा, बजरंग गुप्ता, मनीष अग्रवाल, अजय गुप्ता, रमेश गुप्ता, प्रमोद केशरी, शंकर केशरी, रमेश गुप्ता, अजय गुप्ता, रमेश अग्रवाल, द्वारिका पांडे, सुनील केशरी आदि उपस्थित रहे।

हमारी संस्थाएँ

- मार्गदर्शक सामाजिक शोध संस्थान
- ज्ञान यज्ञ परिवार

संस्थान के कार्य

- समाज विज्ञान पर विश्वव्यापी रिसर्च तथा निष्कर्ष निकालना।

परिवार के कार्य

- देश भर में ज्ञान केन्द्रो का इस तरह विस्तार कि वहाँ स्वतंत्र विचार मंथन हो तथा संवाद प्रणाली विकसित हो।

कार्यक्रम

- ज्ञान चर्चा- प्रतिदिन शाम साढ़े आठ से साढ़े नौ बजे तक किसी एक पूर्व घोषित विषय पर स्वतंत्र वेबिनार।
- ज्ञान मंथन- प्रत्येक रविवार को जूम एप के माध्यम से दोपहर ग्यारह बजे बजरंग मुनि जी द्वारा पूर्व निर्धारित विषय पर विचार प्रस्तुति तथा सोमवार को ग्यारह बजे उक्त विषय पर प्रश्नोत्तर ।
- मार्गदर्शक मंडल- ऐसे न्यूनतम पाँच सौ लोगों की टीम तैयार करना जो समाज विज्ञान पर रिसर्च करने की क्षमता रखते हैं।
- ज्ञान कुंभ- वर्ष मे दो बार पंद्रह-पंद्रह दिनो के ज्ञान कुंभ जिसमे मार्ग दर्शक मंडल के लोग स्वतंत्र विचार द्वारा प्रतिदिन दो-दो विषयों पर निष्कर्ष निकाल कर समाज को दें।

माध्यम

- ज्ञान तत्व पाक्षिक पत्रिका
- फेसबुक एप से प्रसारण
- वाट्सएप ग्रुप से प्रसारण
- जूम एप पर वेबिनार
- यू टयूब चैनल
- इस्टाग्राम
- टेलीग्राम
- कू एप

ज्ञानतत्व पाक्षिक पत्रिका का माह में दो प्रति का प्रकाशन सुचारू रूप से होना शुरु हो गया है। इसकी सहयोग राशि रु. 100/- वार्षिक अभी तय किया गया है। लेख प्रस्तुती आदि पर सुझाव अवश्य दें।

पंजीकृत पाक्षिक
पंजीकरण क्रमांक-68939/98

डाक पंजीयन क्रमांक- छ.ग./रायगढ़/010/2022-2024

प्रति,

श्री/श्रीमती _____

_____

_____

_____

संदेश

वर्तमान संसदीय लोक तंत्र में तो संसद एक जेल खाना है। जहां हमारा भगवान रुपी संविधान कैद है। भगवान को जेलखाने से मुक्त कराना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। संसदीय लोकतंत्र को सहभागी लोकतंत्र में बदलना ही होगा। लोक संसद के लिये आंदोलन इसका प्रारंभिक चरण है। लोक स्वराज्य मंच ने इसकी पहल की है। लोक स्वराज्य मंच से जुड़िये और अपने भगवान को जेलखाने से मुक्त कराने की पहल कीजिए।

- बजरंगलाल

पत्र व्यवहार का पता

पता - बजरंग लाल अग्रवाल पोस्ट बॉक्स 15, रायपुर (छ.ग.) 492001
Website : www.margdarshak.info

प्रकाशक, सम्पादक व स्वामी - बजरंगलाल

09617079344

Email : bajrang.muni@gmail.com
support@margdarshak.info
Facebook Id : बजरंग मुनि (User Name)

मुद्रक - माया प्रेस रामानुजगंज, सरगुजा (छ.ग.)